HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 12727/2025

Goma Ram S/o Karna Ram, Aged About 29 Years, Resident Of Ratdiya, P.s. Bhaniyana, District Jaisalmer. (Presently Lodged In Central Jail, Jaisalmer

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Satish Kumar Khandelwal Mr. Sawpan Chouhan Mr. Nasroodeen Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT
Order

Arguments Concluded on 01/12/2025
Order Reserved on 01/12/2025
Full order Pronounced
Date of Pronouncement 08/12/2025

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता (483 बी.एन.एस.एस.), पुलिस थाना भणियाणा, जिला जैसलमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 8/17, 8/18, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रथम जमानत का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.09.2024 को जरिए नोटप्रेस खारिज किया गया था। प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 01.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। इतनी लंबी अवधि न्यायिक अभिरक्षा में होने के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया और मेरा ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Shambhulal Gurjar @ Rohit Vs. State of Rajasthan, Order Dated 10-01-2025 Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 16671/2024 व Devendra Kumar Mishra @ Bade Guru Vs. The State of Madhya Predesh,

Order Dated 03-01-2024 Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 14639/2023 की ओर ध्यान आकर्षित किया। जिसमें एक वर्ष 8 माह की न्यायिक अभिरक्षा अवधि होने के आधार पर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया गया था। उसी प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त की भी न्यायिक अभिरक्षा अवधि लगभग डेढ वर्ष से अधिक हो चुकी है एवं इस मामले में अभी तक विचारण पूरा नहीं हुआ है। इस आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के कब्जे से 11 किलो 05 ग्राम अफीम का दूध व 630 ग्राम निर्मित अफीम की बरामदगी हुई है। जो मात्रा अत्यधिक होने से वाणिज्यिक मात्रा का मामला स्पष्ट रूप से ही है। ऐसी अवस्था में धारा 37 एन.डी. पी.एस. एक्ट के आधार पर जमानत का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम विधिक स्थिति पर इस मामले में विचार किया जा रहा है। धारा 37 (1)(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है किः–

> "37. Offences to be cognizable and nonbailable.—
> (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), —
>
> (a) ------
> (b) no person accused of an offence punishable for [offences under Section 19 or Section 24 or Section 27A and also for offences involving commercial quantity] shall be released on bail or on his own bond unless—
> (i) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, and
>
> (ii) where the Public Prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail."

06. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों भारत संघ बनाम रामसमुझ व अन्य 1999 (9) एस.सी.सी. 429, Union of India Vs Rattan Mallik @ Habul 2009(1) Drugs Cases (Narcotics) 10: { 2009 (2) एस.सी.सी. 624}, भारत संघ बनाम नियाजुदीन, एस. के. एवं अन्य 2018(1) Drugs Cases (Narcotics)

283: { 2018 (13) एस.सी.सी. 738} व State of Kerala Vs Rajesh 2020(1) Drugs Cases (Narcotics) 106 : { (2020) 12 एस.सी.सी. 122} में धारा 37 एन.डी. पी.एस. एक्ट की व्याख्या की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 37 (1)(बी)(ii) में जो अपवाद दिए गए हैं, उसके लिए रिजनेबल ग्राउण्ड होना आवश्यक है। उसी अवस्था में जमानत पर रिहा किया जा सकता है अन्यथा जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

07. माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ के निर्णय Narcotics Control Bureau Versus Mohit Aggarwal, AIR 2022 S.C. 3444 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण की पीठ के निर्णय Collector of Customs, New Delhi v. Ahmadalieva Nodir (2004) 3 SCC 549 व माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में वर्णित State of Kerala Vs Rajesh (2020)12 SCC 122 पर विचार करते हुए पैरा संख्या 11, 14, 15 व 18 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गया हैः—

> 11. It is evident from a plain reading of the non-obstante clause inserted in sub-section (1) and the conditions imposed in sub-section (2) of Section 37 that there are certain restrictions placed on the power of the Court when granting bail to a person accused of having committed an offence under the NDPS Act. Not only are the limitations imposed under Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973 to be kept in mind, the restrictions placed under clause (b) of sub-section (1) of Section 37 are also to be factored in. The conditions imposed in subsection (1) of Section 37 is that (i) the Public Prosecutor ought to be given an opportunity to oppose the application moved by an accused person for release and (ii) if such an application is opposed, then the Court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the person accused is not guilty of such an offence. Additionally, the Court must be satisfied that the accused person is unlikely to commit any offence while on bail.
>
> 14. To sum up, the expression "reasonable grounds" used in clause (b) of Sub-Section (1) of Section 37 would mean credible, plausible and grounds for the Court to believe that the accused person is not guilty of the alleged offence. For arriving at any such conclusion, such facts and circumstances must exist in a case that can persuade the Court to believe that the accused person would not have committed such an offence. Dove-tailed with the aforesaid

> satisfaction is an additional consideration that the accused person is unlikely to commit any offence while on bail.
>
> 15. We may clarify that at the stage of examining an application for bail in the context of the Section 37 of the Act, the Court is not required to record a finding that the accused person is not guilty. The Court is also not expected to weigh the evidence for arriving at a finding as to whether the accused has committed an offence under the NDPS Act or not. The entire exercise that the Court is expected to undertake at this stage is for the limited purpose of releasing him on bail. Thus, the focus is on the availability of reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of the offences that he has been charged with and he is unlikely to commit an offence under the Act while on bail.
>
> 18. In our opinion the narrow parameters of bail available under Section 37 of the Act, have not been satisfied in the facts of the instant case. At this stage, it is not safe to conclude that the respondent has successfully demonstrated that there are reasonable grounds to believe that he is not guilty of the offence alleged against him, for him to have been admitted to bail. The length of the period of his custody or the fact that the charge-sheet has been filed and the trial has commenced are by themselves not considerations that can be treated as persuasive grounds for granting relief to the respondent under Section 37 of the NDPS Act.

08. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Union of India Versus Ajay Kumar Singh alias Pappu, Criminal Appeal No. 952 of 2023 Decided on March 28, 2023 [2023] 2 Supreme 755 में भी धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों पर विचार करते अपील स्वीकार की गई और पैरा संख्या 14, 16 व 17 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गयाः—

> 14. This apart, it is noticed that the High Court, in passing the impugned order of bail, had lost sight of Section 37 of the NDPS Act, which, *inter alia*, provides that no person accused of an offence involving commercial quantity shall be released on bail unless the twin conditions laid down therein are satisfied, namely, (i) the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application; and (ii) the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any such offence while on bail.

> 16. In view of the above provisions, it is implicit that no person accused of an offence involving trade in commercial quantity of narcotics is liable to be released on bail unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such an offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.
>
> 17. The quantity of "ganja" recovered is admittedly of commercial quantity. The High Court has not recorded any finding that the respondent-accused is not *prima facie* guilty of the offence alleged and that he is not likely to commit the same offence when enlarged on bail rather his antecedents are indicative that he is a regular offender. In the absence of recording of such satisfaction by the court, we are of the opinion that the High Court manifestly erred in enlarging the respondent-accused on bail.

09. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टांत STATE By The Inspector Of Police Vs. B. Ramu Criminal Appeal No. 801 OF 2024 Date of Judgment February 12, 2024. [2024] 0 Supreme (SC) 130 के मामले में भी धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा पर विचार करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में अंतर्गत धारा 438 सीआर.पी.सी. अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश के विरूद्ध अपील स्वीकार करते हुए पैरा संख्या 9, 11 व 12 में निम्नानुसार उल्लिखित किया गया हैः—

> 9. A plain reading of statutory provision makes it abundantly clear that in the event, the Public Prosecutor opposes the prayer for bail either regular or anticipatory, as the case may be, the Court would have to record a satisfaction that there are grounds for believing that the accused is not guilty of the offence alleged and that he is not likely to commit any offence while on bail.
>
> 11. In case of recovery of such a huge quantity of narcotic substance, the Courts should be slow in granting even regular bail to the accused what to talk of anticipatory bail more so when the accused is alleged to be having criminal antecedents.
>
> 12. For entertaining a prayer for bail in a case involving recovery of commercial quantity of narcotic drug or psychotropic substance, the Court would have to mandatorily record the satisfaction in terms of the rider contained in Section 37 of the NDPS Act.

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satender Kumar Antil vs. CBI & Anr AIR 2022 SC 3386 में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व के न्यायिक दृष्टांत Union of India vs. K.A. Najeeb, (2021) 3 SCC 713 व Supreme Court

Legal Aid Committee vs. Union of India (1994) 6 SCC 731 के आधार पर विभिन्न कैटेगरीज के अपराधों के संबंध में धारा 436ए सीआर.पी.सी. के प्रावधानों पर विचार किया गया और कैटेगरी 'सी' स्पेशल एक्ट जैसे NDPS (S.37), PMLA (S.45), UAPA (S.43D(5), Companies Act, 212(6), आदि मामलों के संबंध में पैरा संख्या 64 में निम्नानुसार विवेचन किया गया हैः—

> 64. Now we shall come to category (C). We do not wish to deal with individual enactments as each special Act has got an objective behind it, followed by the rigor imposed. The general principle governing delay would apply to these categories also. To make it clear, the provision contained in Section 436A of the Code would apply to the Special Acts also in the absence of any specific provision. For example, the rigor as provided under Section 37 of the NDPS Act would not come in the way in such a case as we are dealing with the liberty of a person. We do feel that more the rigor, the quicker the adjudication ought to be. After all, in these types of cases number of witnesses would be very less and there may not be any justification for prolonging the trial. Perhaps there is a need to comply with the directions of this Court to expedite the process and also a stricter compliance of Section 309 of the Code.

11. उक्त न्यायिक दृष्टांत के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Mohd. Muslim alias Hussain Versus State (NCT of Delhi) Criminal Appeal No. 943 of 2023 Date of Judgment 28-03-2023 (AIR 2023 (SC) 1648) के मामले में अभियुक्त जो कि 23 वर्ष की आयु का गिरफ्तारी के समय था, और दिनांक 28.09.2015 को 4 मुल्जिमों, जिसमें से एक नितेश एका भी था, से गांजा की बरामदगी हुई थी और याची को नितेश एका के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, इस आधार पर 7 वर्ष 4 माह की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि होने और 30 गवाहों के बयान होने व 34 गवाहों के बयान होना शेष माना गया और सतेन्द्र कुमार अंतिल वाले मामले पर विचार करते हुए धारा 436ए सीआर.पी.सी. के प्रावधान एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में लागू होना मानते हुए जमानत पर रिहा किया गया।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Union of India Vs. Vigin K. Varghese 2025 INSC 1316 के मामले में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.01.2025 और 12.03.2025 को निरस्त किया गया और इस मामले में बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा धारा 37 एन.डी.पी.एस. व लंबी न्यायिक अवधि अक्टूबर 2022 से अभियुक्त की गिरफ्तारी किए होने के आधार पर जमानत का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया गया था, उस मामले में वाणिज्यिक मात्रा में कोकिन की

बरामदगी होने से धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान पर विचार करते हुए आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए।

13. पूर्व में उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में धारा 37 (1)(बी) के तहत योग्य लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करने की सूरत में जमानत के प्रार्थना–पत्र पर विचार करते हुए न्यायालय आरोपी व्यक्ति को तभी जमानत दे सकता है जब वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए, उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होने पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस आधार पर कि अभियुक्त के विरूद्ध चालान पेश हो चुका है या अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है, अभियुक्त को जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के सतेन्द्र कुमार अंतिल वाले मामले के आधार पर धारा 436ए सीआर.पी.सी. के प्रावधान प्रकरण में लागू होने की अवस्था में जमानत पर रिहा किये जाने पर विचार किया जा सकता है। धारा 37 एन.डी.पी.एस. एक्ट में ही यह अंकित किया गया है कि धारा 19, या धारा 24 या धारा 27ए के संबंधित अपराध व ऐसे मामले, जिसमें वाणिज्यिक मात्रा के आर्टिकल बरामद हुए हैं, उन मामलों में धारा 37 (1) (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।

14. अतः पूर्व में वर्णित विधिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया। हस्तगत मामले में याची की ओर से धारा 436ए सीआर.पी.सी. के मुताबिक जमानत की प्रार्थना नहीं की गई है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यही आधार लिया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 01.05.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है जो लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक की अवधि न्यायिक अभिरक्षा की हो चुकी है। लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में होने से व अभी तक विचारण समाप्त नहीं हो जाने के आधार पर ही मुख्य रूप से जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण के N.C.B. Vs. Mohit Aggarwal (पूर्वोक्त) वाले न्यायिक दृष्टांत के पूर्व में वर्णित पैरा संख्या 18 में वर्णितानुसार न्यायिक अभिरक्षा की लंबी अवधि के आधार पर व चार्जशीट पेश हो जाने के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Union of India Vs. Vigin K. Varghese (पूर्वोक्त) वाले मामले में बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में प्रार्थी–अभियुक्त के होने को भी जमानत का आधार बनाया गया था। जो माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

16. ऐसी अवस्था में केवल डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि न्यायिक अभिरक्षा में होने के आधार पर इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Shambhulal Gurjar @ Rohit Vs. State of Rajasthan व Devendra Kumar Mishra @ Bade Guru Vs. The State of Madhya Predesh (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदशों के आधार पर पूर्व में वर्णित माननीय उच्च्तम न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधिपतिगण के न्यायिक दृष्टांत N.C.B. Vs. Mohit Aggarwal (पूर्वोक्त) व माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Union of India Vs. Vigin K. Varghese (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार प्रार्थी–अभियुक्त जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

17. वाणिज्यिक प्रकृति के मामले में धारा 37 के प्रावधान आज्ञापक है। उसको मद्देनजर रखते हुए हस्तगत मामले पर विचार किया गया। हस्तगत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त गोमाराम के रातडिया स्थित घर के सामने उसकी केम्पर गाड़ी में से 7 पैकेट में 11 किलो 05 ग्राम अफीम का दूध एवं 630 ग्राम निर्मित अफीम तथा अफीम दूध के लेन–देन संबंधी राशि 19 लाख रूपये बरामद हुए हैं, बोलेरो केम्पर का चालक प्रार्थी–अभियुक्त ही था। जो वाणिज्यिक प्रकृति का मामला है। अभियुक्त से बरामदसुदा आर्टिकल वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। ऐसी अवस्था में इस स्टेज पर प्रथमदृष्टया ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता कि प्रार्थी–अभियुक्त इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने से इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना न हो।

18. ऐसी अवस्था में धारा 37 (1) (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट में अंकित दोनों अपवादित परिस्थितियां प्रार्थी–अभियुक्त के मामले में नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत का प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

19. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता (483 बी.एन.एस.एस.) खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

167-mayank/-